प्रेस नोट 01- दिनांक 02.06.2024
थाना गंगाघाट,जनपद उन्नाव।

दो वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 02.06.2024 को उ0नि0 श्री गया प्रसाद रमन मय हमराह फोर्स द्वारा अभियुक्त1. मनोकान्त पुत्र शम्भू दयाल निवासी ग्राम बसधना थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 48 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 78/18, मु0अ0स0 763/17 तथा सम्बन्धित धारा 323/328/379 भादवि व 3(1) द,ध एससी एस टी एक्ट तथा उ0नि0 श्री जन्मेदय सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा अभियुक्त संजय पुत्र होशराम कुरील निवासी सलीन्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 31 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 1772/07, मु0अ0स0 1004/2006 धारा 302/201 भादवि थाना गंगाघाट उन्नाव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

वारण्टी अभियुक्त का विवरण

1.मनोकान्त पुत्र शम्भू दयाल निवासी ग्राम बसधना थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 48 वर्ष
2.संजय पुत्र होशराम कुरील निवासी सलीन्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 31 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री गया प्रसाद रमन
2.उ0नि0 श्री जन्मेदय सिंह
3. का0 राजाराम चौहान
4.का0 राजू मौर्या

प्रेस नोट 02- दिनांक 02.06.2024
थाना मौरावां,जनपद उन्नाव।

व्यक्ति की गला काटकर हत्या की घटना का हुआ खुलासा
मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी ने फरसे से वारकर की थी व्यक्ति की हत्या
दोनों अभियुक्तों को थाना मौरावां पुलिस व सर्विलांस सेल द्वारा किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस व सर्विलांस सेल द्वारा दिनांक 01.06.2024 को थाना मौरावां क्षेत्रांतर्गत ग्राम दृगपालगंज में व्यक्ति की गला काटकर हत्या की घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त व अभियुक्ता को एक अदद फरसा आलाकत्ल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.06.2024 को आवेदक बिन्दा प्रसाद पुत्र स्व0 देवान कश्यप नि0 दृगपालगंज मजरा असरेन्दा थाना मौरावां जनपद उन्नाव द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पुत्र बेचा लाल की अज्ञात लोगो द्वारा हत्या कर दी गयी है । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 252/2024 धारा 302/201/34 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त मे साक्ष्य/सीडीआर अवलोकन व अन्य साक्ष्यो के आधार पर आज दिनांक 02.06.2024 को प्रकाश मे आये अभि0गण 1. संजय कुमार पुत्र स्व0 रमेश कोरी नि0 ग्राम सुदौली थाना बछरावां जनपद रायबरेली उम्र 24 वर्ष को भवरेश्वर मंदिर व 2. रेखा पत्नी बेचा लाल नि0 दृगपालगंज मजरा असरेन्दा थाना मौरावां उन्नाव उम्र 30 वर्ष को अभियुक्ता के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछतांछ के दौरान बताया कि दोनो के मध्य लगभग 3 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अभियुक्त संजय कुमार अभियुक्ता रेखा से चोरी छिपे उसके घर आता जाता था। अभियुक्त व अभियुक्ता एक दूसरे शादी करना चाहते थे, जिस कारण बेचा लाल की हत्या करने की योजना बनायी और दिनांक 31 मई/01 जून 2024 की रात मे अभियुक्त संजय कुमार उपरोक्त व अभियुक्ता रेखा ने मिलकर धारदार हथियार फरसा से बेचा लाल की गर्दन पर वार कर

उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त संजय कुमार की निशादेही पर हत्या मे प्रयोग किया धारदार फरसा बरामद किया गया है। दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण

1. संजय कुमार पुत्र स्व0 रमेश कोरी नि0 ग्राम सुदौली थाना बछरावां जनपद रायबरेली उम्र 24 वर्ष
2. रेखा पत्नी बेचा लाल नि0 दृगपालगंज मजरा असरेन्दा थाना मौरावां उन्नाव उम्र 30 वर्ष

बरामद आला कत्लः- एक अदद धारदार फरसा

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त सिंह
2. व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
3. उ0नि0 श्री अबू मो0 कासिम
4. कां0 समीर
5. म0का0 जोनिका
6. हेड कां0 राधेश्याम सर्विलांस सेल उन्नाव